केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/13 दिनांक: 10.01.2018
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00013
CICOM/R/2017/01406

अपीलकर्ता : श्री के. के. गर्ग,
461, हरगोविन्दपुरम,
सिटी सेन्टर, ग्वालियर,
मध्य प्रदेश – 474001.
मो0 – 9425308173.

निर्णय की तारीख : 10.01.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	13.11.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	11.12.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	18.12.2017

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 13.11.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग को प्रेषित दिनांक 14.05.2016 के अपील से संबंधित तीन बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी । अपीलकर्ता का उक्त आर.टी.आई. आवेदन दिनांक 22.11.2017 को आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ तथा श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन दिनांक 28.11.2017 को श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सेन्ट्रल रजिस्ट्री-1 को ऑनलाइन अग्रसारित किया गया जिसकी सूचना श्री ए. के. शर्मा द्वारा अपीलकर्ता को दिनांक 29.11.2017 के पत्र के माध्यम से दी गई ।

2. श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सेन्ट्रल रजिस्ट्री-1 द्वारा अपीलकर्ता को उनके आर.टी.आई. के संदर्भ में प्रदान की गई सूचना कि *"जहाँ तक आपके पत्र दिनांक 14.05.2016 का सम्बंध है, कम्प्यूटरीकृत डाक मैनेजमेंट सिस्टम दर्शाता है कि यह आयोग को डायरी सं. 136255 दिनांक 18.05.2016 के तहत प्राप्त हुआ, ऐसा प्रतीत होता है कि सेंट्रल रजिस्ट्री के नवीकरण के दौरान Mics Paper के साथ मिश्रितहो गया है, जिसको ढूंढने के सभी संभावित प्रयास किए जा रहे हैं, तथापि यदि आप पत्र की कापी अपने हस्ताक्षर सहित सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि लगाते हुए नाम से अधोहस्ताक्षरी को संबोधित करते हुए भेजने का कष्ट करते हैं तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी'* के विरुद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है । **अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन के साथ आयोग को प्रेषित दिनांक 14.05.2016 के पत्र की प्रति (चार पृष्ठ) भी लगाया है जिसके साथ कोई अनुलग्नक नहीं है जो कि आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आदेश के साथ श्री कृष्ण अवतार तलवार को अग्रसारित किया जाता है तथा इस संदर्भ में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सेन्ट्रल रजिस्ट्री-1 को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता के दिनांक 14.05.2016 के पत्र की तालाश की जाए एवं अपीलकर्ता को वांछित सूचना यथाशीघ्र प्रदान की जाए ।**

O/C

3. प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने यह भी उल्लेख किया है कि श्री ए. के. शर्मा एवं श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) के परिपत्र सं. 10/1/2013-आई.आर. दिनांक 17 मार्च, 2015 में दर्शाई गई गाइडलाइन्स के अनुसार अपने एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के

11 JAN 2018

---2/-

कार्यालय का टेलीफ़ोन नम्बर/मोबाइल नम्बर/ई-मेल आई.डी. की जानकारी नहीं दी गई है । **इस संदर्भ में श्री ए. के. शर्मा एवं श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कार्मिक एवं प्रशिक्षण** विभाग (डी.ओ.पी.टी.) के परिपत्र सं. 10/1/2013-आई.आर. दिनांक 17 मार्च, 2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

4. अपीलकर्ता ने श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी अग्रसारित करने के संबंध में उल्लेख किया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14/2018-आई-आर. दिनांक 27 जुलाई, 2008 द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उपधारा (4) एवं (5) के बारे में दर्शाए गए स्पष्टीकरण के अनुसार आयोग के अन्य अधिकारी से सहायता लेकर जानकारी प्रदाय करने के बजाए आवेदन को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को अग्रसारित करके गलती की है । इस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है कि केन्द्रीय सूचना आयोग में पहले से ही कई केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी पदनामित हैं तथा सभी के विषय क्षेत्र अलग अलग हैं, जिन्हें आर.टी.आई. प्रकोष्ठ के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा विषयानुसार आवेदन अग्रसारित किया जाता है, यह आयोग की आंतरिक व्यवस्था का हिस्सा है । साथ ही स्पष्ट किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(4) के तहत ऐसे अन्य अधिकारियों से सहायता लेने का प्रावधान है जो जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित नहीं है, परन्तु जो जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित हैं, उन्हें आवेदन अग्रसारित करना अधिनियम की धारा 5(4) का उल्लंघन नहीं है ।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री कृष्ण अवतार तलवार - संलग्न पीलकर्ता के दिनांक 14.05.2016 के पत्र की प्रति ।
   केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
   सेन्ट्रल रजिस्ट्री-1, केन्द्रीय सूचना आयोग । –